

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8696 / 4575

दिनांक : 28-10-2021

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,
नूह ।

विषय : Diversion of 4.778 ha. (1.99 ha. in Mewat-Nuh Division and 2.778 ha. in Palwal Division) of forest land in favour of Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh for laying of DI 900mm drinking water pipe line from Punhana to Mustfabad, under forest division and District Mewat-Nuh and Palwal, Haryana.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 549 दिनांक 16-9-2021 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा भेजी गई सी0ए0 स्कीम में फैनिसिंग चार्जिज 160000/- रूपये प्रति आर0के0एम0 की दर से लगाया गया है जबकि यह 200000/- रूपये प्रति आर0के0एम0 की दर से लगाया जाना है । कृपया संशोधित सी0ए0 स्कीम बनाकर तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

10
28/10/21